क्रम-संख्या–55

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 16 मार्च, 2021

फाल्गुन 25, 1942 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 114 / वि0स0 / संसदीय / 15(सं)-2021

लखनऊ, 18 फरवरी, 2021

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 18 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेष राज्य विष्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा षासित अषासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शैक्षिक संस्थाओं, माध्यमिक संस्कृत शैक्षिक संस्थाओं, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर बेसिक विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूलों तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के अध्यापकों तथा षिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी मामलों से अन्तर्ग्रस्त विवादों और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों के प्रभावी एवं त्वरित न्याय निर्णयन के निमित्त शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम, 2021 कहा जायेगा; संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) **'अधिनियम'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम, 2021 से है;

(ख) **'पीठ'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण के किसी पीठ से है;

(ग) **'अध्यक्ष'** का तात्पर्य अधिकरण के अध्यक्ष से है;

(घ) **'मुख्य न्यायमूर्ति'** का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति से है;

(ङ) **'जिला न्यायाधीश'** का तात्पर्य बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 के अर्थान्तर्गत किसी जिला न्यायाधीश से है;

(च) **'शैक्षिक संस्था'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेष राज्य विष्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) द्वारा षासित किसी अषासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय या माध्यमिक षिक्षा परिषद प्रयागराज, या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या हाई स्कूल या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किसी विद्यालय से है और इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई सहायता प्राप्त जूनियर बेसिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल सम्मिलित है;

(छ) **'विधिक प्रतिनिधि'** का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधिक रूप में प्रतिनिधित्व करता हो और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें पेंषन सम्बन्धी, सेवानिवृत्तिक, सेवान्त या अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार निहित हो;

(ज) **'प्रबन्ध तंत्र'** का तात्पर्य प्रशासन योजना, यदि कोई हो, के अनुसार गठित किसी प्रबन्ध समिति से है और इसमें प्रबन्धक या ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमें किसी शैक्षिक संस्था के मामलों का प्रबन्धन करने का अधिकार निहित हो;

(झ) **'सदस्य'** का तात्पर्य अधिकरण के किसी न्यायिक या किसी प्रशासनिक सदस्य से है और इसमें उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(ञ) **'षिक्षणेत्तर कर्मचारी'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेष राज्य विष्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) द्वाराष्शासित किसी अषासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के किसी कर्मचारी या माध्यमिक षिक्षा परिषद, प्रयागराज या उत्तर प्रदेष माध्यमिक संस्कृत षिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या हाई स्कूल के किसी अध्यापक से भिन्न ऐसे कर्मचारी, जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संदत्त किया जाता हो, या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किसी विद्यालय के षिक्षणेत्तर कर्मचारी से है;

(ट) **'प्रस्तुतकर्ता अधिकारी'** के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी सम्मिलित हैं;

(ठ) **'सेवा सम्बन्धी मामले'** का तात्पर्य किसी अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी की सेवा शर्तों से सम्बन्धित किसी मामले से है;

(ड) **'अधिकरण'** का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण से है;

(ढ) **'अध्यापक'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेष राज्य विष्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) द्वारा षासित अषासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य या किसी अन्य अध्यापक या माध्यमिक षिक्षा परिषद, प्रयागराज या उत्तर प्रदेष माध्यमिक संस्कृत षिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या हाईस्कूल के ऐसे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या किसी अन्य अध्यापक, जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संदत्त किया जाता हो या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर बेसिक विद्यालय या जूनियर हाईस्कूल में शिक्षा प्रदान करने हेतु नियोजित किसी व्यक्ति से है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का गठन

3–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण स्थापित करेगी, जिसे उत्तर प्रदेष षिक्षा सेवा अधिकरण कहा जायेगा, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, अधिकरण सप्ताह में तीन दिन लखनऊ एवं दो दिन प्रयागराज में अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

अध्यक्ष, निर्देश द्वारा पूर्वोक्त रूप में दिन और स्थान नियत कर अधिकरण की कार्यवाही संचालित कर सकेगा।

अधिकरण को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समय तथा अवकाश दिवसों का अनुसरण करना होगा, जब तक कि उसका अवधारण अधिकरण द्वारा न कर दिया जाय।

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष (न्यायिक), एक उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) और प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम तीन ऐसे अन्य न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय, होंगे।

(3) कोई व्यक्ति–

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह–

(एक) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीष न रहा हो, अथवा

(दो) कम से कम दो वर्ष तक के लिए उपाध्यक्ष (न्यायिक) पद धारित न किया हो, अथवा

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य न रहा हो और भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य समकक्ष पद धारित न किया हो और न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हों;

(ख) उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह–

(एक) जिला न्यायाधीष या कोई अन्य समकक्ष पद धारित न किया हो, अथवा

(दो) कम से कम दो वर्ष तक के लिए न्यायिक सदस्य का पद धारित न किया हो;

(ग) उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह–

(एक) कम से कम दो वर्ष तक के लिए प्रषासनिक सदस्य का पद धारित न किया हो, या

(दो) कम से कम दो वर्ष तक के लिए भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के पद के वेतनमान से कम न हो और राज्य सरकार की राय में न्याय करने में पर्याप्त अनुभव धारित न किया हो;

(घ) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारित न किया हो।

(4) वेतनमान रू0 1,44,200–2,18,200 या उच्च वेतनमान में भारतीय प्रषासनिक सेवा या प्रान्तीय सिविल सेवा (प्रषासनिक शााखा) का कोई अधिकारी, प्रषासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, परन्तु यह कि राज्य सरकार की राय में वह न्याय करने में पर्याप्त अनुभव धारित किया हो।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्ष से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे जिसके लिए प्रस्ताव का पहल राज्य सरकार द्वारा किया जायेगाः

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य का पद तब तक धारण नहीं करेगा जब तक कि वह उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सिवाय सेवा, जिसमें वह सेवारत था, से पद त्याग न कर दिया हो या सेवानिवृत्त न हो गया हो।

(6) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि के लिये इस रूप में पद धारण करेगा, किन्तु वह पॉच वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगाः

परन्तु यह कि–

(एक) अध्यक्ष के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु और

(दो) उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के मामले में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य इस रूप में पद धारण नहीं करेगा;

(7) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्यपाल को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग कर सकता हैः

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, जब तक राज्यपाल द्वारा उसे पहले ही अपना पद छोड़ने की अनुज्ञा न दे दी जाय, सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह की समाप्ति तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के पद ग्रहण करने तक या अपनी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा;

(8) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या ऐसे न्यायाधीष, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा विहित रीति से नाम निर्दिष्ट किया जाय, द्वारा की गयी ऐसी जांच, जिसमें यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरूद्ध आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्ति–युक्ति अवसर प्रदान किया गया हो, के पष्चात सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा किये गये किसी आदेश के सिवाय अपने पद से हटाये नहीं जायेंगे;

(9) पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या सोसाइटी के अधीन अग्रतर नियोजन के लिए पात्र नहीं होंगेः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन कोई उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, क्रमषः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा;

(10) पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, सम्बन्धित अधिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति की ओर से न उपस्थित होगा, न कार्य करेगा या न अभिवचन करेगा;

(11) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को संदेय वेतन तथा भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें, ऐसी होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय;

(12) जहाँ अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या जहॉ अध्यक्ष का पद, उसकी मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा के कारण रिक्त हो जाय वहाँ उपाध्यक्ष, और जहॉ उपाध्यक्ष तदनुरूप अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो जाय वहॉ, ऐसा अन्य सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अध्यक्ष के कृत्यों का तब तक निर्वहन करेगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

अधिकरण के कर्मचारी वर्ग

4–(1) राज्य सरकार अधिकरण की, उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का अवधारण करेगी और अधिकरण हेतु ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का उपबन्ध करेगी जैसा कि वह उचित समझे;

(2) अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे;

(3) अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और अन्य सेवाशर्तें वही होंगी जैसी कि विहित किया जाये।

अधिकरण को दावा निर्दिष्ट करना

5–(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी शैक्षिक संस्था में कार्यरत अध्यापक या षिक्षणेत्तर कर्मचारी हो या रहा हो और अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा सम्बन्धी मामले में किसी आदेश से व्यथित हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिए अधिकरण को दावा निर्दिष्ट कर सकता है;

स्पष्टीकरणः– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "आदेश" का तात्पर्य उत्तर प्रदेष राज्य विष्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1973), इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921) उत्तर प्रदेष माध्यमिक संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2000, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000), उत्तर प्रदेष बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972) और तद्धीन बनायी गयी नियमावली तथा विनियमावली के अधीन किसी शैक्षिक प्राधिकारी के किसी आदेष या लोप या निष्क्रियता अथवा शैक्षिक संस्था की प्रबन्ध समिति या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेष के आदेश से हैः

परन्तु यह कि किसी अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि और जहाँ ऐसे दो या दो से अधिक प्रतिनिधि हों, वहाॅ उनमें से सभी संयुक्त रूप से ऐसे अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी की मृत्यु के कारण वेतन, भत्तों, उपदान, भविष्य निधि, पेंषन तथा सेवा सम्बन्धी अन्य आर्थिक प्रसुविधाओं के संदाय हेतु अधिकरण के समक्ष दावा निर्दिष्ट कर सकते हैं;

(2) **उपधारा (1)** के अधीन प्रत्येक निर्देश, ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज या कोई अन्य साक्ष्य,तथा ऐसे निर्देश दाखिल किये जाने से सम्बन्धित ऐसी फीस और प्रक्रिया के निष्पादन या उसे तामीलीकरण हेतु ऐसी अन्य फीस, जैसा कि विहित किया जाय, संलग्न किये जायेंगे;

(3) उपधारा **(1)** के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर यदि अधिकरण का, ऐसी जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पष्चात् यह समाधान हो जाये कि उक्त निर्देष, उसके न्याय निर्णयन या विचारण के लिये उपयुक्त है तो वह ऐसा निर्देश ग्रहण कर सकता है और जहां अधिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहॉ वह अपना कारण अभिलिखित करने के पश्चात् निर्देष को संक्षेपतः अस्वीकृत कर देगा;

(4) जहाँ कोई निर्देश, उपधारा (3) के अधीन अधिकरण द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो, वहाँ ऐसे निर्देश की विषय वस्तु से सम्बन्धित शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में सुसंगत सेवा नियमावली या विनियमावली या किसी संविदा के अधीन ऐसी प्रत्येक कार्यवाही, जो ऐसे निर्देश ग्रहण करने के ठीक पूर्व लम्बित हो, उपशमित हो जायेगी और अधिकरण द्वारा अन्यथा निदेश दिये जाने के सिवाय, ऐसे विषय के सम्बन्ध में तत्पश्चात् कोई अपील या अभ्यावेदन, ऐसी नियमावली, विनियमावली या संविदा के अधीन ग्रहण नहीं किया जायेगा;

(5) अधिकरण, सामान्यतया कोई निर्देश तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान न हो जाय कि अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी ने सुसंगत सेवा नियमावली, विनियमावली या संविदा के अधीन शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में उपलब्ध समस्त उपायों का उपभोग कर लिया है;

(6) उपधारा **(5)** के प्रयोजनों के लिये, यदि राज्य सरकार या उसके किसी प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी नियमावली, विनियमावली या संविदा के अधीन शिकायत के सम्बन्ध में ऐसे अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा की गई अपील या दिये गये अभ्यावेदन को निरस्त करते हुए कोई अंतिम आदेश दिया गया हो, तो किसी अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा, उपलब्ध समस्त उपायों का उपभोग किया गया समझा जायेगाः

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा की गई अपील या दिये गये अभ्यावेदन के सम्बन्ध में राज्य सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी अपील करने या अभ्यावेदन दिये जाने के दिनांक से 120 दिन के भीतर कोई अंतिम आदेश न किया गया हो वहाँ अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी, रजिस्ट्रीकृत डाक से लिखित सूचना द्वारा ऐसे सक्षम प्राधिकारी से आदेश पारित करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना तामील किये जाने के एक माह के भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता है तो अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा, उपलब्ध समस्त उपायों का उपभोग किया गया समझा जायेगा।

अधिकरण द्वारा निर्देश की सुनवाई

6–(1) अध्यक्ष दावों के ऐसे निर्देशों और अन्य विषयों, जैसा कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, के निस्तारण के लिए समय–समय पर पीठों का गठन कर सकता है जिसमें दो सदस्य होंगे;

(2) अध्यक्ष के लिये यह विधिसम्मत होगा कि वह ऐसे किसी पीठ के सदस्य के रूप में स्वयं को नाम निर्दिष्ट करे;

(3) एक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होगा;

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (न्यायिक), न्यायिक सदस्य समझे जायेंगे और उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) प्रशासनिक सदस्य समझा जायेगा;

(4) अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों तथा प्राधिकार का प्रयोग ऐसी किसी पीठ द्वारा किया जा सकता है और इस प्रकार प्रयुक्त अधिकारिता, शास्ति या प्राधिकार, अधिकरण द्वारा प्रयुक्त किया गया समझा जायेगा;

(5) अध्यक्ष, स्वप्रेरणा से या दावे के किसी निर्देश के निमित्त किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी मामले का अन्तरण, एक पीठ से दूसरी पीठ को कर सकता है;

(6) जहाँ किसी पीठ के सदस्य, किसी मामले में सहमत होने में असमर्थ हों तो उक्त मामला अध्यक्ष द्वारा गठित किसी अन्य पीठ को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा और पष्चात्वर्ती पीठ का विनिश्चय अंतिम होगा।

अधिकरण की शक्तियाँ और प्रक्रिया

7–(1) **(क)** अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) में निर्धारित प्रक्रिया या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) में अंतर्विष्ट साक्ष्य के नियमों से बाध्य नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा और इस धारा और अधिनियम की धारा 15 के अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन अधिकरण को अपनी प्रक्रिया (जिसमें अपनी बैठक का दिनांक और समय नियत करना और यह विनिश्चित करना सम्मिलित है कि बैठक सार्वजनिक या निजी तौर पर की जाय) विनियमित करने की शक्ति होगीः

परन्तु यह कि जहाँ किसी निर्देश की विषय वस्तु के सम्बन्ध में, किसी सक्षम न्यायालय ने पहले ही डिक्री सुना दिया हो या कोई आदेष पारित कर दिया हो या कोई रिट या निर्देष जारी कर दिया हो और ऐसी डिक्री, आदेश, रिट या निदेश अंतिम हो गया हो, वहाँ पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होगा;

(ख) धारा 5 एवं 6 के अधीन किसी निर्देश के लिए परिसीमा अधिनियम, 1963 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1963) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानो निर्देश इस प्रकार सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया कोई वाद हो, तथापि यह किः–

(एक) पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची में विहित परिसीमा अवधि के होते हुए भी ऐसे निर्देश के लिए परिसीमा अवधि एक वर्ष होगी;

(दो) परिसीमा अवधि की संगणना में उस दिनांक, जिस दिनांक को अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार कोई अभ्यावेदन करे या कोई अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य याचिका (जो राज्यपाल को किया गया अभ्यावेदन न हो) करे, से प्रारम्भ होने वाली, और उस दिनांक, जिस दिनांक को ऐसे अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी को यथास्थिति, ऐसे अभ्यावेदन, अपील, पुनरीक्षण या याचिका पर पारित किये गये अंतिम आदेश की जानकारी हुयी हो, को समाप्त होने वाली अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा;

(2) अधिकरण प्रत्येक निर्देश को शीघ्रतापूर्वक विनिश्चित करेगा और साधारणतया उसके द्वारा प्रत्येक मामले का विनिष्चय, दस्तावेजों और अभ्यावेदनों के परिशीलन या मौखिक या लिखित बहसों यदि कोई हो, के आधार पर किया जायेगा;

(3) अधिकरण, साक्ष्य में किसी मूल दस्तावेज के बदले में उसकी किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि ग्रहण कर सकता है;

(4) अधिकरण, साधारणतया मौखिक साक्ष्य पेश करने की न तो मांग करेगा या न अनुज्ञा देगा, और यदि आवश्यक हो, किसी पक्षकार से सम्यक रूप से शपथकृत शपथ–पत्र दाखिल करने की अपेक्षा कर सकता है;

(5) अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन कोई जाँच आयोजित करने के प्रयोजनार्थ, उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन निम्नलिखित बातों के संबंध में वही शक्तियां होगी जो किसी वाद पर विचारण के समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1908) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं:–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) सम्यक रूप से शपथ कृत शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) की धारा 123 और 124 के उपबन्धों के अध्यधीन किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अधियाचित करना;

(ड़) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना;

(च) विधिसम्मत करार, समझौता या तुष्टि को अभिलिखित करना और तद्नुसार आदेश करना;

(छ) अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करना;

(ज) व्यतिक्रम के लिए कोई निर्देश खारिज करना या उस पर एक–पक्षीय विनिश्चिय करना;

(झ) व्यतिक्रम के लिए खारिज किये गये किसी आदेश या अपने द्वारा पारित किये गये एक पक्षीय आदेश को अपास्त करना;

(ञ) किसी निर्देश पर अंतिम विनिश्चय के लम्बित रहने तक ऐसे निबन्धनों, यदि कोई हों, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, पर अन्तवर्ती आदेश पारित करना;

(ट) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाये;

(6) किसी निर्देश से सम्बन्धित किन्हीं कार्यवाहियों में अधिकरण द्वारा कोई अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) तब तक नहीं पारित किया जायेगा, जब तक :–

(क) ऐसे निर्देश और अन्तरिम आदेश हेतु आवेदन की प्रतिलिपियाँ और साथ ही साथ ऐसे अन्तरिम आदेश के लिये अभिवचन के समर्थन में समस्त दस्तावेज, उस पक्षकार को न उपलब्ध करा दिये जाये, जिसके विरूद्ध ऐसा निर्देष दाखिल किया गया हो; और

(ख) ऐसे पक्षकार को उत्तर दाखिल करने के लिए कम से कम चौदह दिन का समय न दे दिया जाय और उस विषय में सुनवाई का अवसर न दे दिया जाये:

परन्तु यह कि अधिकरण, खण्ड (क) और (ख) की अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के किसी क्षति, जिसे धन द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिपूरित नहीं की जा सकती है, के निवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तो अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आपवादिक उपाय स्वरूप अन्तरिम आदेश कर सकता है किन्तु कोई ऐसा अन्तरिम आदेश, यदि उसे पहले निष्प्रभावी न कर दिया जाये, उस दिनांक, जिस दिनांक को वह किया जाय, से चौदह दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जायेगा, जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन न कर लिया गया हो और अधिकरण ने उस आदेश के प्रवर्तन को जारी न रखा हो;

(7) पूर्ववर्ती उप–धाराओं में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अधिकरण को किसी अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी के विरूद्ध नियोजक द्वारा की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) करने की शक्ति नहीं होगी;

(8) अधिकरण द्वारा की गयी घोषणा, दावेदार और उसके नियोजक और साथ ही साथ किसी ऐसे अन्य अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी पर बाध्यकारी होगी जिसे उसके हित को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करने वाले किसी दावा के संबंध में उसके विरूद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया गया हो और उक्त घोषणा किसी विधि न्यायालय द्वारा की गई घोषणा के समान प्रभावी होगी;

(9) किसी निर्देश को अन्तिम रूप से निस्तारित करने वाले अधिकरण के आदेश का निष्पादन, उसी रीति से किया जायेगा जिस रीति से निर्देश से सम्बन्धित दावेदार के नियोजन के किसी मामले में दावेदार द्वारा की गयी किसी अपील या किये गये अभ्यावेदन में, शिकायतों को दूर करने से सम्बन्धित सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम राज्य सरकार, या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी, या अन्य व्यक्ति का कोई अन्तिम आदेश निष्पादित किया जाता;

(10) (क) राज्य सरकार, अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कोई विधि व्यवसायी नियुक्त कर सकती है;

(ख) कोई अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी अपनी ओर से अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य अध्यापक अथवा षिक्षणेत्तर कर्मचारी और विधिक व्यवसायी की भी सहायता ले सकता है;

(11) अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 193, 219 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी;

(12) किसी निर्देश या किसी निर्देश के उत्तर या किसी आवेदन–पत्र पर या तो नियुक्ति प्राधिकारी या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हो वहाँ राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उप सचिव की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा और किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या कम्पनी के मामले में यथास्थिति उसके कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय के सिवाय न्यायालयों की अधिकारिता का अपवर्जन

8–जिस दिनांक को/से किसी शैक्षिक संस्था में कार्यरत अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा सम्बंधी मामलों में इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा कोई अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार प्रयोग किये जाने योग्य हो जायेगा, उच्चतम न्यायालय के सिवाय किसी न्यायालय के पास ऐसे सेवा सम्बन्धी मामलों में कोई अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा अथवा वह उसका प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति

9–न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (अधिनियम संख्या 70 सन् 1971) के अधीन अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिकरण को अपने अवमानना के संबंध में वही अधिकारिता, शक्तियाँ और प्राधिकार होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जायेगा जैसा कि उच्च न्यायालय को अपने अवमानना के सम्बन्ध में है और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, निम्नलिखित उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे, अर्थात् :–

(क) उसमें उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों के प्रति निर्देश को क्रमशः अधिकरण, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के प्रति निर्देश के रूप में समझा जायेगा;

(ख) न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 में महाधिवक्ता के प्रति निर्देश को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक या ऐसे अन्य विधि अधिकारी, जैसा कि राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में समझा जायेगा;

(ग) इस धारा के अधीन अधिकरण के किसी आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष की जायेगी।

विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण

10–(1) अधिकरण द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या प्राधिकारी आदेश के दिनांक से 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में इस आधार पर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है कि मामले में कोई विधि का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो;

(2) उप धारा (1) के अधीन पुनरीक्षण हेतु प्रार्थना–पत्र में उक्त मामले से अन्तर्ग्रस्त विधि का प्रश्न संक्षिप्त रूप में उल्लिखित होगा। उच्च न्यायालय विधि के प्रश्न का प्रतिपादन भी कर सकता है अथवा विधि के किसी अन्य प्रश्न को उठाये जाने की भी अनुज्ञा प्रदान कर सकता है;

(3) उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण हेतु पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् उसमें अन्तर्ग्रस्त विधि के प्रश्न पर विनिष्चय करेगा या यदि नये सिरे से अवधारित किया जाना अपेक्षित हो तो उच्च न्यायालय नये सिरे से अवधारण करने के लिए विनिष्चय की एक प्रति अधिकरण को भेज सकता है, और तत्पष्चात् अधिकरण ऐसे आदेश पारित करेगा जो उक्त विनिष्चय के अनुरूप मामले का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हों;

(4) उच्च न्यायालय, अधिकरण के आदेश को उपान्तरण सहित या उसके बिना पुष्ट कर देगा या इसे अपास्त कर देगा या पुनरीक्षण का निस्तारण लम्बित रहने तक ऐसे निबन्धनों, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, के अध्यधीन आदेष का प्रवर्तन स्थगित कर सकता है;

(5) परिसीमा अधिनियम, 1963 (अधिनियम संख्या 36 सन् 1963) के उपबन्ध, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण दाखिल किये जाने हेतु यथा आवष्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

वादों पर रोक

11–(1) नियत दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समान अनुतोष के लिए समस्त वाद, और ऐसे वादों से प्रोदभूत होने वाली समस्त अपील, पुनरीक्षण, पुनरीक्षण हेतु आवेदन–पत्र और अन्य आनुषंगिक या सहायक कार्यवाहियाँ [जिसके अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश 39 के अधीन समस्त कार्यवाहियाँ हैं] और अकिंचन के रूप में समान अनुतोष के लिए वाद या अपील करने की अनुज्ञा के लिए समस्त आवेदन-पत्र और उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन (अन्तर्वर्ती आदेशों से प्रोदभूत होने वाले) समस्त पुनरीक्षण उपशमित हो जायेंगे, और उनके अभिलेख अधिकरण को अन्तरित कर दिये जायेंगे और तत्पश्चात् अधिकरण उन मामलों में उसी रीति से विनिश्चय करेगा मानों वे धारा (5) के अधीन उसके लिए निर्दिष्ट दावे हों:

परन्तु यह कि अधिकरण, धारा 8 के उपबंधों के अध्यधीन, ऐसे प्रक्रम से कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करेगा, जिस प्रक्रम पर मामला पूर्वोक्तानुसार उपशमित किया गया हो और न्यायालय में प्रस्तुत किन्ही अभिवचनों या किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पर ऐसी कार्यवाही करेगा मानों वे अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत या पेश किए गए हों;

(2) नियत दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे वादों से उद्भूत होने वाले विचाराधीन समस्त अपीलों की सुनवाई और निस्तारण, उस न्यायालय द्वारा पूर्ववत् निरन्तर किया जायेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो:

परन्तु यह कि यदि उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश 41 के नियम 23 या नियम 25 के अधीन मामला प्रतिप्रेषित करना या प्रतिनिर्दिष्ट करना आवश्यक समझे तो प्रतिप्रेषण या प्रतिनिर्देश का आदेश, सम्बद्ध अधीनस्थ न्यायालय के बजाय अधिकरण को निदेषित किया जायेगा और तत्पश्चात् अधिकरण, उच्च न्यायालय के निदेषों के अध्यधीन मामला या विवाद्यक पर उसी रीति से विनिश्चय करेगा मानों यह धारा 5 के अधीन उसके लिए निर्दिष्ट कोई दावा हो।

अधिकरण के सदस्य और कर्मचारिवर्ग लोक सेवक होंगे

12 अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य और अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

13—इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेंगी।

सदस्य न्यायाधीश होंगे

14—अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1985) और न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 (अधिनियम संख्या 18 सन् 1850) के प्रयोजनों के लिए न्यायाधीश समझे जायेंगे।

नियम बनाने की शक्ति

15—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है;

(2) विशेषतः और पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी मामले या कोई मामला उपबन्धित किये जा सकते हैं/किया जा सकता है, अर्थात्:—

(क) अधिकरण की शक्तियाँ और उसकी प्रक्रिया;

(ख) अधिकरण के पीठों का गठन और उनके मध्य कार्य बटवारा;

(ग) वह प्रपत्र जिसमें किसी दावे का निर्देश किया जा सकता है, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य,जिनके साथ ऐसा निर्देश संलग्न होगा और ऐसा निर्देश दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में या प्रक्रमणकों के निष्पादन या तामीलीकरण के लिए संदेय फीस;

(घ) अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें;

(ङ) अधिकरण के अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां;

(च) कोई अन्य मामला, जिसके लिये इस अधिनियम में पर्याप्त उपबन्ध विद्यमान न हों और राज्य सरकार उस निमित्त उपबन्ध करना आवश्यक और समीचीन समझे।

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

16—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाषित आदेष द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवष्यक प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष की समाप्ति के पष्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेष नहीं किया जायेगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

——————

उद्देश्य और कारण

बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी मामले से अन्तर्ग्रस्त मुकदमों में तीव्र वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शैक्षिक संस्थाओं की दक्ष कार्य प्रणाली की गुणवत्ता को अनुरक्षित रखने और उसमें अभिवृद्धि करने के निमित्त उनके विवादों के त्वरित समाधान की क्रियाविधि उपबन्धित करना अत्यन्त आवश्यक था। अतएव अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शैक्षिक संस्थाओं, माध्यमिक संस्कृत शैक्षिक संस्थाओं, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक और जूनियर बेसिक विद्यालयों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी मामलों से अन्तर्ग्रस्त विवादों और उनसे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों के प्रभावी एवं त्वरित न्याय—निर्णयन के निमित्त शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना हेतु एक विधि बनाये जाने का विनिश्चय किया गया था।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक,2019, राज्य विधान मण्डल में पुरःस्थापित कर जुलाई, 2019 में पारित किया गया था। तत्पश्चात् राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया गया था। चूंकि उक्त विधेयक राष्ट्रपति की सहमति हेतु भारत सरकार के पास लम्बित है अतः भारत सरकार से उक्त विधेयक वापस लेकर उसमें वांछित कतिपय संशोधन सम्मिलित करके उसके स्थान पर नया विधेयक पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

डॉ0 दिनेश शर्मा,
उप मुख्यमंत्री।

———

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 के खण्ड–3 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एक शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें विधेयक के प्रावधानों के प्रवर्तन में आने पर राज्य की समेकित निधि से लगभग 6.15 करोड़ रूपये का आवर्तक व्यय अनुमानित है।

डॉ0 दिनेश शर्मा,
उप मुख्यमंत्री।

———

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन–पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधायन का विवरण निम्न प्रकार हैः–

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधायन का संक्षिप्त विवरण
1	2
1(3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा ऐसा दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रही है जब से अधिनियम लागू होगा।
3(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण स्थापित करने की शक्ति दी जा रही है।
4(3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
5(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को उपधारा (1) के अधीन निर्देश के प्रपत्र और उसके साथ संलग्न होने वाले दस्तावेज या कोई अन्य साक्ष्य तथा उसके दाखिल किये जाने से सम्बन्धित फीस और प्रक्रिया के निष्पादन या उसके तामीलीकरण हेतु अन्य फीस विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
7(1)	इसके द्वारा अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति दी जा रही है।
7(5)(ट)	इसमें राज्य सरकार को अधिकरण को यथा उपबंधित के अतिरिक्त अन्य विषय विहित करने की शक्ति दी जा रही है।

15	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।
16	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिनियमों के उपबन्धों को प्रभावी करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ऐसे उपबन्ध करने की शक्ति दी जा रही है जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक हो।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

डॉ0 दिनेश शर्मा,

उप मुख्यमंत्री।

———

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 155/XC-S-1–21-09S-2021

Dated Lucknow, March 16, 2021

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Shiksha Seva Adhikaran Vidheyak, 2021" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 18, 2021.

THE UTTAR PRADESH EDUCATION SERVICES TRIBUNAL BILL, 2021

A

BILL

to provide for the establishment of Education Services Tribunal for effective and expeditious adjudication of disputes involving service matters of teachers and non-teaching employees of non-government aided colleges governed by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 and non-government aided secondary educational institutions, secondary sanskrit educational institutions, non-government aided junior basic schools and Junior High Schools and the schools of the Uttar Pradesh Basic Education Board and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called as the Uttar Pradesh Education Services Tribunal Act, 2021.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint in this behalf.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Education Services Tribunal Act, 2021;

(b) “Bench” means a Bench of the Uttar Pradesh Education Services Tribunal;

(c) “Chairperson” means the Chairperson of the Tribunal;

(d) “Chief Justice” means the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad;

(e) “District Judge” means a District Judge within the meaning of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887;

(f) “Educational Institution” means a non-government aided college governed by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (Act no. 10 of 1973) or an aided Intermediate College or a High School recognized by the Board of High School and Intermediate Education, Prayagraj or by the Uttar Pradesh Secondary Sanskrit Education Board, or a school of the Uttar Pradesh Board of Basic Education and includes an aided Junior Basic School or Junior High School recognized by the Uttar Pradesh Board of Basic Education;

(g) “Legal Representative” means a person, who in law represents the estate of the deceased person and includes a person in whom the right to receive pensionary, retirement, terminal or other benefits vests;

(h) “Management” means a Committee of Management constituted in accordance with the scheme of administration, if any, and includes the Manager or a person vested with the authority to manage the affairs of an educational institution;

(i) “Member” means a Judicial or an Administrative Member of the Tribunal and includes the Chairperson and the Vice-Chairperson thereof;

(j) “Non-teaching employee” means an employee of a non-government aided college governed by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (Act no. 10 of 1973) or an employee of an aided Intermediate College or a High School recognized by the Board of High School and Intermediate Education, Prayagraj or by the Uttar Pradesh Secondary Sanskrit Education Board, other than a teacher in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government or a non–teaching employee of a school of the Uttar Pradesh Board of Basic Education;

(k) “Presenting Officer” includes an Assistant Presenting Officer appointed by the State Government;

(l) “Service matter” means a matter relating to conditions of service of a teacher or a non-teaching employee;

(m) “Tribunal” means the Uttar Pradesh Education Services Tribunal established under section 3;

(n) “Teacher” means a principal or any other teacher of a non-government aided college governed by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (Act no. 10 of 1973) or a Principal, a Head Master or any other teacher of an aided Intermediate College or a High School recognized by the Board of High School and Intermediate Education, Prayagraj or by the Uttar Pradesh Secondary Sanskrit Education Board in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government or a person employed for imparting education in Junior Basic School or Junior High School of the Uttar Pradesh Board of Basic Education.

797 RPH (Tribunal) (Sansadiya) 2021 Data 4e

Establishment of the Uttar Pradesh Education Services Tribunal

3. (1) The State Government shall, by notification, establish a Tribunal to be called the Uttar Pradesh Education Services Tribunal, headquarter of which shall be at Lucknow. The Tribunal shall discharge its functions in Lucknow for three days, and in Prayagraj for two days in a week.

The Chairperson may, by direction, appoint the day and place from the aforesaid to conduct the proceedings of the Tribunal.

The Tribunal shall follow the timing and holidays notified by the State Government from time to time, unless the same is determined by the Tribunal.

(2) The Tribunal shall consist of a Chairperson, a Vice-Chairperson (Judicial), a Vice-Chairperson (Administrative) and such other Judicial and Administrative Members, not less than three in each category, as may be determined by the State Government.

(3) A person shall not be qualified for appointment as,-

(a) the Chairperson unless he –

(i) has been a Judge of a High Court; or

(ii) has for at least two years, held the post of Vice-Chairperson (Judicial);

(iii) has been a member of the Indian Administrative Service and has held the post of a Secretary to the Government of India or any other post under the Central or the State Government equivalent thereto, and has adequate experience in dispensation of justice;

(b) the Vice – Chairperson (Judicial), unless he-

(i) has held the post of District Judge or any other post equivalent thereto; or

(ii) has, for at least two years, held the post of Judicial Member;

(c) the Vice – Chairperson (Administrative) unless he –

(i) has, for at least two years, held the post of an Administrative Member; or

(ii) has, for at least two years, held the post of Additional Secretary to the Government of India or any other post under the Central or a State Government carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India and has, in the opinion of the State Government, adequate experience in dispensation of justice;

(d) a Judicial Member, unless he has held the post of District Judge or any other post equivalent thereto.

(4) An officer of Indian Administrative Service or an officer of the Provincial Civil Service (Executive Branch) in the pay scale of Rs. 1,44,200–2,18,200 or above shall be qualified for appointment as an Administrative Member provided he, in the opinion of the State Government, has adequate experience in dispensation of justice.

(5) The Chairperson, Vice-Chairperson and every other Member shall be appointed by the State Government in consultation with the Chief Justice for which the proposal will be initiated by the State Government:

Provided that no person shall assume the office of the Chairperson, Vice – Chairperson or other member unless he has resigned or retired from service in which he was serving except the service as Vice-Chairperson or Member.

(6) The Chairperson, Vice-Chairperson or other Member shall hold office as such for a term of five years from the date on which he enters upon his office but shall be eligible for reappointment for another term of five years:

Provided that no Chairperson, Vice-Chairperson or Member, shall hold office as such after he has attained:

(i) in the case of Chairperson, the age of sixty five years, and

(ii) in the case of Vice-Chairperson or a Member, the age of sixty two years.

(7) The Chairperson, Vice-Chairperson or a Member may, by notice in writing under his hand addressed to the Governor, resign his office:

Provided that the Chairperson, Vice-Chairperson or a Member shall, unless he is permitted by the Governor to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiration of three months from the date of receipt of notice or until a person duly appointed as his successor enters upon office or until the expiration of his term of office, whichever is earlier.

(8) The Chairperson, Vice-Chairperson or any other Member shall not be removed from his office except by an order made by the Governor on the ground of proved misbehavior or incapacity after an enquiry made by the Chief Justice or such Judge of the High Court as may be nominated by the Chief Justice in the prescribed manner, in which such Chairperson, Vice-Chairperson or other Member, as the case may be, has been informed of the charges against him and been given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

(9) On ceasing to hold office, the Chairperson, Vice-Chairperson, or other Member shall be ineligible for further employment under the State Government or any local or other authority under the control of the State Government or any corporation or society owned or controlled by the State Government:

Provided that a Vice-Chairperson or a Member shall, subject to other provisions of this Act, be eligible for appointment as the Chairperson or as the Vice-Chairperson respectively.

(10) On ceasing to hold office, the Chairperson, Vice-Chairperson or other Member shall not appear, act or plead before the respective Tribunal on behalf of any person.

(11) The salaries and allowances payable to the Chairperson, a Vice-Chairperson or any other Member and other conditions of his service shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

(12) Where the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, or where any vacancy occurs in the office of the Chairperson by reason of his death, resignation or otherwise, the Vice-Chairperson, and where the Vice-Chairperson is likewise unable to discharge his functions or the office of the Vice-Chairperson is also vacant, such other Member as the State Government may by special or general order specify, shall discharge the functions of the Chairperson until the new Chairperson assumes his office.

Staff of the Tribunal

4. (1) The State Government shall determine the nature and categories of the officers and other employees required to assist the Tribunal in the discharge of its functions and provide to the Tribunal with such officers and other employees as it may think fit.

(2) The officers and other employees of the Tribunal shall discharge their functions under the general superintendence of the Chairperson.

(3) The appointment and other conditions of services of the officers and other employees of the Tribunal shall be such as may be prescribed.

Reference of claim to the Tribunal

5. (1) Subject to the other provisions of this Act, a person who is or has been a teacher or a non-teaching employee working in an educational institution and is aggrieved by an order pertaining to a service matter within the jurisdiction of the Tribunal, may make a reference of claim to the Tribunal for the redressal of his/her grievance;

Explanation: For the purposes of this sub-section, "Order" means an order or omission or inaction of an educational authority under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (Act no. 10 of 1973),the Intermediate Education Act, 1921 (U.P. Act no. 2 of 1921), the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000 (U.P. Act no. 32 of 2000), the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 (U.P. Act no. 34 of 1972) and the rules and regulations framed thereunder, or the order of the Committee of Management of the educational institution or Secondary Education Service Selection Board, Uttar Pradesh:

Provided that in the case of death of a teacher or non-teaching employee, his legal representative and where there are two or more such representatives, all of them may jointly make a reference to the Tribunal for payment of salary, allowances, gratuity, provident fund, pension and other pecuniary benefits relating to service of such deceased teacher or non – teaching employee.

(2) Every reference under sub-section(1) shall be in such form, be accompanied by such documents or any other evidence and by such fee in respect of the filing of such reference, and by such other fee for the services or execution of process, as may be prescribed.

(3) On receipt of a reference under sub-section (1) the Tribunal shall, if satisfied after such inquiry as it may deem necessary that the reference is fit for adjudication or trial by it, admit such reference and where the Tribunal is not so satisfied, it shall summarily reject the reference after recording its reasons.

(4) Where a reference has been admitted by the Tribunal under sub section (3), every proceeding under the relevant service rules or regulations or any contract as to redressal of grievances in relation to the subject matter of such reference pending immediately before such admission shall abate, and save as otherwise directed by the Tribunal, no appeal or representation in relation to such matter shall thereafter be entertained under such rules, regulations or contract.

(5) The Tribunal shall not ordinarily admit a reference unless it is satisfied that the teacher or non-teaching employee has availed of all the remedies available to him/her under the relevant service rules, regulations or contract as to the redressal of grievances.

(6) For the purpose of sub-section (5), a teacher or a non-teaching employee shall be deemed to have availed of all the remedies available to him if a final order has been made by the State Government, an authority or officer thereof or any other person competent to pass such order under such rules, regulations or contract rejecting any appeal preferred or representation made by such teacher or non-teaching employee in connection with the grievance:

Provided that where no final order is made by the State Government, authority, officer or other person competent to pass such order with regard to the appeal preferred or representation made by such teacher or non-teaching employee within 120 days from the date on which such appeal was preferred or representation was made, the teacher or non-teaching employee, may, by a written notice by registered post, require such competent authority to pass the order and if the order is not passed within one month of the service of such notice, the teacher and non-teaching employee shall be deemed to have availed of all the remedies available to him.

Hearing of reference by the Tribunal

6. (1) The Chairperson may from time to time constitute Benches consisting of two members for the disposal of such references of claims and other matters as may be specified by him/her.

(2) It shall be lawful for the Chairperson to nominate himself as a member of any such Bench.

(3) A Bench shall consist of a Judicial Member and an Administrative Member.

Explanation: For the purpose of this sub-section, the Chairperson, Vice-Chairperson (Judicial) shall be deemed to be a Judicial Member and the Vice-Chairperson (Administrative) shall be deemed to be an Administrative Member.

(4) The jurisdiction, powers and authority of the Tribunal may be exercised by any such Bench and the jurisdiction, power or authority so exercised shall be deemed to have been done by the Tribunal.

(5) The Chairperson may *suo motu* or on the application of a party to a reference of claim, transfer a case from one Bench to another.

(6) Where the Members of a Bench are unable to agree, the matter shall be referred to another Bench constituted by the Chairperson and the decision of latter Bench shall be final.

Powers and procedure of the Tribunal

7. (1) (a) The Tribunal shall not be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) or the rules of evidence contained in the Indian Evidence Act, 1872 (Act no. 1 of 1872), but shall be guided by the principles of natural justice and subject to the provisions of this section and any rules made under section 15 of the Act, the Tribunal shall have power to regulate its own procedure (including the fixing of date and time of its sitting and deciding whether to sit in public or in private):

Provided that where in respect of the subject matter of a reference, a competent court has already pronounced a decree or passed an order or issued a writ or direction and such decree, order, writ or direction has become final, the principle of *res judicata* shall apply;

(b) The provisions of the Limitation Act, 1963 (Act no. 3 of 1963) shall *mutatis mutandis* apply to reference under sections 5 and 6 as if the reference were a suit filed in civil court so however, that: –

(i) notwithstanding the period of limitation prescribed in the Schedule of the Act as aforesaid, the period of limitation for such reference shall be one year;

(ii) in computing the period of limitation, the period beginning with the date on which the teacher or non-teaching employee makes a representation or prefers an appeal, revision or any other petition (not being memorial to the Governor) in accordance with the rules or orders regulating his conditions of service, and ending with the date on which such teacher or non-teaching employee has knowledge of the final order passed on such representation, appeal, revision or petition, as the case may be, shall be excluded.

(2) The Tribunal shall decide every reference expeditiously and ordinarily every case shall be decided by it on the basis of perusal of documents and representations or oral or written arguments, if any.

(3) The Tribunal may admit in evidence, in lieu of any original document, a copy thereof attested by a Gazetted officer or by a notary.

(4) The Tribunal shall not ordinarily call for or allow to adduce oral evidence, and may, if necessary, require any party to file an affidavit duly sworn on oath.

797 RPH (Tribunal) (Sansadiya) 2021 Data 4e

(5) The Tribunal shall, for the purpose of holding any enquiry under this Act, have, subject to the provisions of sub section (1), the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) , while trying a suit, in respect of the following matters: –

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him/her on oath;

(b) requiring discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavits duly sworn on oath;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any office subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 (Act no. 1 of 1872);

(e) issuing commission for the examination of witnesses or documents;

(f) recording a lawful agreement, compromise or satisfaction and making an order in accordance therewith;

(g) reviewing its decision;

(h) dismissing a reference for default or deciding it *ex parte;*

(i) setting aside an order of dismissal for default or an order passed by it *ex parte*;

(j) passing interlocutory orders pending final decision of any reference on such terms, if any, as it thinks fit to impose;

(k) any other matter which may be prescribed.

(6) No interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) shall be passed by the Tribunal in any proceedings relating to any reference unless: –

(a) copies of such reference and application for interim order, along with all the documents in support of the plea for such interim order are furnished to the party against whom such reference is filed; and

(b) at least fourteen days' time should be given to such party to file a reply and opportunity is given to it to be heard in the matter:

Provided that the Tribunal may dispense with the requirement of clauses (a) and (b) and may, for reasons to be recorded, make an interim order, as an exceptional measure, if it is satisfied that it is necessary so to do for preventing any loss to the applicant which cannot be adequately compensated in money, but any such interim order shall, if it is not vacated earlier, cease to have effect on the expiry of the period of 14 days from the date on which it is made unless the said requirements have been complied with before the expiry of the said period and the Tribunal has continued the operation of that order.

(7) Notwithstanding anything to the contrary in the foregoing sub-sections, the Tribunal shall have no power to make an interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of an adverse entry made by an employer against a teaching or non-teaching employee.

(8) A declaration made by the Tribunal shall be binding on the claimant and his employer as well as on any other teacher or non-teaching employee who has, in respect of any claim affecting his interest adversely, been given an opportunity of making a representation against it, and shall have the same effect as a declaration made by a court of law.

(9) The order of the Tribunal finally disposing of a reference shall be executed in the same manner in which any final order of the State Government or other authority or officer or other person competent to pass such order under the relevant service rules as to redressal of grievances in any appeal preferred or representation made by the claimant in connection with any matter relating to his employment to which the reference relates, would have been executed.

(10) (a) The State Government may appoint a legal practitioner as the Presenting Officer to present its case before the Tribunal;

(b) A teacher or a non-teaching employee may also take the assistance of any other teacher or non-teaching employee and legal practitioner to present his case before the Tribunal on his/her behalf.

(11) Any proceeding before the Tribunal shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193, 219 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).

(12) A reference or a reply to a reference or an application may be signed either by the appointing authority or by the Presenting Officer; or where the appointing authority is the Governor, by an officer not below the rank of Deputy Secretary authorized by the State Government in this behalf and in the case of a local authority, corporation or company, by the Chief Executive Officer or Secretary thereof, as the case may be.

Exclusion of jurisdiction of all Courts except the Supreme Court

8. On and from the date from which any jurisdiction, powers and authority becomes exercisable under this Act by the Tribunal in relation to service matters of teachers and non-teaching employees working in an educational institution, no court except the Supreme Court, shall have or be entitled to exercise any jurisdiction, power or authority in relation to such service matters.

Power to punish for contempt

9. Without prejudice to the jurisdiction, powers and authority of the High Court under the Contempt of Courts Act, 1971 (Act no. 70 of 1971) in respect of contempt of courts subordinate to it, the Tribunal shall have and shall exercise, jurisdiction, powers and authority in respect of contempt of itself as the High Court has, and may exercise, in respect of contempt of itself and for this purpose the provisions of the Contempt of Courts Act, 1971 shall *mutatis mutandis*, apply subject to the following modifications, namely :-

(a) Reference therein to High Court, its Chief Justice and other Judges shall be construed as reference to the Tribunal, its Chairperson and other Members respectively;

(b) Reference to Advocate General in section 15 of the Contempt of Courts Act, 1971 shall be construed as reference to the Public Prosecutor appointed by the State Government under sub-section(1) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) or any other law officer as the State Government may by notification, specify in that behalf;

(c) An appeal against the order of the Tribunal under this section may be preferred before the High Court within thirty days from the date of such order.

Revision by High Court in special cases

10. (1) Any person or authority aggrieved by an order made by the Tribunal, may, within 90 days from the date of order, apply to the High Court for revision of such order on the ground that the case involves a question of law.

(2) The application for revision under sub-section (1) shall precisely state the question of law involved in the case. The High Court may also formulate the question of law, or allow any other question of law to be raised.

(3) The High Court shall, after hearing the parties to the revision, decide the question of law involved therein or if required to be determined afresh, the High Court may send a copy of the decision to the Tribunal for afresh determination and the Tribunal shall thereupon pass such orders as are necessary to dispose of the case in conformity with the said decision.

(4) The High Court may either confirm the order of the Tribunal with or without modifications or set it aside or may, pending disposal of the revision, stay the operation of the order subject to such terms, if any, as it thinks fit.

(5) The provisions of the Limitation Act, 1963 (Act no. 36 of 1963), shall *mutatis mutandis* apply for filing of revision under this section

Bar of suits

11. (1) All suits for the like relief, and all appeals, revisions, applications for review and other incidental or ancillary proceedings [including all proceedings under Order XXXIX of the First Schedule to the Code of Civil Procedure,1908 (Act no. 5 of 1908) arising out of such suits], and all applications for permission to sue or appeal as pauper for the like relief, pending before any court subordinate to the High Court and all revisions (arising out of interlocutory orders) pending before the High Court on the date immediately preceding the appointed date shall abate, and their records shall be transferred to the Tribunal and thereupon it shall decide the cases in the same manner as if they were claims referred to it under section 5:

Provided that the Tribunal shall, subject to the provisions of section 8, recommence the proceeding from the stage at which the case is abated as aforesaid, and deal with any pleadings presented or any oral or documentary evidence produced in the court as if the same were presented or produced before the Tribunal.

(2) All appeals pending before the High Court on the date immediately preceding the appointed date arising out of such suits shall continue to be heard and disposed of by that court as heretofore, as if this Act has not come into force:

Provided that if the High Court considers it necessary to remand or refer back the case under rule 23 or rule 25 of Order XLI of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908), the order of remand or reference shall be directed back to the Tribunal instead of the subordinate court concerned and the Tribunal shall thereupon decide the case or issue, subject to the directions of High Court, in the same manner as if it were a claim referred to it under section 5.

Members and staff of the Tribunal to be public servants

12. The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Tribunal and the officers and other employees of the Tribunal shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

Protection of action taken in good faith

13. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Chairperson, Vice-Chairperson or Members or any other person for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules made there under.

Members to be Judges

14. The Chairperson, Vice-Chairperson, and Members of the Tribunal shall be deemed to be Judges for the purposes of the Judges (Protection) Act, 1985 (Act no. 59 of 1985) and the Judicial Officers' Protection Act, 1850 (Act no. 18 of 1850).

Power to make rules

15. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the powers and procedure of the Tribunal;

(b) the constitution and distribution of business among the Benches of the Tribunal;

(c) the form in which a reference of claim may be made, the documents and other evidence by which such reference shall be accompanied, and the fees payable in respect of the filing of such reference or for the execution or service of processors;

797 RPH (Tribunal) (Sansadiya) 2021 Data 4e

(d) the salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairperson, Vice-Chairperson, Members, officers and other employees of the Tribunal;

(e) the financial and administrative powers of the Chairperson of the Tribunal;

(f) any other matter for which insufficient provision exists in this Act and the State Government considers provision in that behalf necessary or expedient.

Power to remove difficulties

16 (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the *Gazette*, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub – section (1) shall be laid, as soon may be after it is made, before both the Houses of State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of rapid growth of litigations involving service matters of teachers and non-teaching employees of basic, secondary and higher educational institutions, there was an urgent need to provide a mechanism for speedy resolution of their disputes in order to maintain and improve the quality of efficient functioning of institutions of basic, secondary and higher education. It was decided to make a law to establish an Education Services Tribunal for effective and expeditious adjudication of disputes involving service matters of teachers and non-teaching employees of non-government aided secondary educational institutions, secondary Sanskrit educational institutions, non-government aided primary and junior basic schools, the schools of the Uttar Pradesh Basic Education Board and non government aided Degree Colleges and for matters connected therewith or incidental thereto.

The Uttar Pradesh Education Services Tribunal Bill, 2019 was introduced in and passed by the State Legislature in July,2019. Thereafter, the said Bill was reserved by the Governor for consideration of the President. The said Bill is pending with the Government of India for Presidential assent, it has been decided to take back the said Bill from the Government of India and incorporate certain amendments desired in it and introduce a new Bill in place thereof.

The Uttar Pradesh Education Services Tribunal Bill, 2021 is introduced accordingly.

DR. DINESH SHARMA
Up Mukhyamantri,

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 797 राजपत्र–2021–(1694)–599+30=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

797 RPH (Tribunal) (Sansadiya) 2021 Data 4e